भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 828
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हिसार में ठप पेयजल आपूर्ति

828. श्री जय प्रकाशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिसार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य लंबे समय से बंद पड़े हैं, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर कठिनाइयाँ हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि क्षेत्र में नहर और नाली सफाई से संबंधित कार्य रोक दिए गए हैं, जिससे सिंचाई प्रणाली प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन कामों को बंद करने के कारणों की समीक्षा की है और संबंधित विभाग को इन्हें तुरंत फिर से आरंभ करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का हिसार लोक सभा क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार, नहर की सफाई के काम में तेजी लाने और भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई विशेष कार्य योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार, हरियाणा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय, नीतिगत

मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हिसार में रहने वाले ग्रामीण परिवारों सहित राज्य के सभी परिवारों के पास नल जल आपूर्ति की व्यवस्था है और कोई अकार्यशील जल आपूर्ति योजना नहीं है और किसी भी गांव को जेजेएम मानदंडों से कम जल की आपूर्ति नहीं मिल रही है।

(ख), (ग) और (घ): राज्य ने सूचित किया है कि नहर-आधारित जल आपूर्ति प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है और जनता को पेयजल की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। योजना के तहत श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण हाल ही में मनरेगा अधिकारियों द्वारा नहर की सफाई का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। राज्य के संबंधित विभाग को सलाह दी गई है कि सिंचाई सेवाओं में किसी भी व्यवधान का निवारण करने के लिए वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से कार्य फिर से शुरू किया जाए। तदनुसार, राज्य विभाग ने नहरों की सफाई कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और राज्य ने इसे नहर के सफाई कार्यों को निष्पादित करने के लिए वैकल्पिक तंत्र के रूप में अपनाया है। राज्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भविष्य में ऐसे मुद्दों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

*****